न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्याः—514 / 2017 (18 आयुध अधिनियम 1959)(R.C.M.S . no 2017/00550)

पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी मौहल्ला गोपालगढ जघीना गेट भरतपुर ।

.........अपीलान्ट

बनाम

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज0)

..........रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर दिनांक 1.5.2015 बाबत शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 104 / 87 डीएम भरतपुर निरस्त करने के संदर्भ में।

उपस्थितिः—

1. श्री मोहन स्वरूप शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 21.5.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 1.5.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 104 / 87 डीएम भरतपुर को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने हेतु तहत अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के आचरण एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने के संबध में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 211 दिनांक 10.2.2015 से अपीलान्ट / शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध अपराध संख्या 834/09 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 336, 307, 302 ता0हि0 दर्ज होना तथा फरार होना अंकित करते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2015 पारित किया गया जिसके तहत अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करते हुये उस पर दर्ज दोनों शस्त्रों को तत्काल पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर में जमा कराने के आदेश प्रदान किये गये है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 104/87 डीएम भरतपुर जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया गया है जो काफी पुराना है । जिसे अपीलान्ट नियमित नवीनीकृत कराता रहा है। अनुज्ञापत्र जारी होने के दिनांक से आज दिनांक तक अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञापत्र की समस्त शर्तों की नियमानुसार पालना की गई है। कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग भी नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश बिना सुने एकतरफा में अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। जिस मुकदमें को अपीलान्ट के खिलाफ आधार बनाया गया है वह तो सक्षम अदालत द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित भी किया जा चुका है। तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट के ओर से जबाब दिनांक 29.4.2015 के साथ एफ0आई0आर0 संख्या 834/09 पुलिस थाना मथुरागेट के संबध में परिवादी पक्ष द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीशसंख्या 3 भरपुर में पेश किये गये राजीनामा जिसमें अन्य अभियुक्तगण के साथ–साथ अपीलान्ट से भी राजीनामा कर लिया गया था । दिनांक 4.12.2012 एवं न्यायालय द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 156/12 सरकार बनाम योगेश उर्फ लाल आदि में दिये गये निर्णय दिनांक 14.3.2013 की प्रति उसमें परिवादी पक्ष द्वारा घटना का समर्थन नहीं करने के कारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने के संबध में जरिये रजिस्टर्ड डाक नियत अवधि में जिला मजिस्ट्रेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भरतपुर के लिये भेजी गई थी। तहत अदालत ने अपीलान्ट के जबाब एवं उसके साथ भेजे गये राजीनामा एवं सक्षम अदालत के निर्णय पर कोई गौर नहीं किया गया और न ही अपने अपीलधीन आदेश में उक्त राजीनामा/निर्णय का कोई हवाला दिया गया है बिना कोई ठोस आधार के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलान्ट को किसी भी अपराध में किसी भी मुकदमें में आज दिनांक तक दोषसिद्ध नहीं किया है और न ही अपीलान्ट द्वारा अपने लाईसेंसी हथियार से कोई अपराध किया है और न ही अपीलान्ट के लाईसेंसी हथियार के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। यह मुकदमा भी मात्र राजनैतिक प्रतिद्वन्ता की वजह से झूठा दर्ज कराया गया था जो निर्णित हो चुका है। अपीलान्ट के खिलाफ जिस मुकदमा एफआईआर संख्या 834/09 के तहत लाईसेंस निरस्त किया है उसकी ट्रॉयल न्यायालय ए0डी0जे0 संख्या –3 भरतपुर में ट्रायल हुई उस ट्रायल में अपीलान्ट को बरी किया गया है । उक्त फैसला सैशन प्रकरा संख्या 156/2012 जो न्यायालय एडीएजे संख्या –3 भरतपुर द्वारा पारित किया गया है उसमें अपीलान्ट को बरी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये है कि यदि आर्म्स लाईसेंस फौजदारी मुकदमा की पैन्डेसी के चलते हुये निरस्त किया गया है तो वह आदेश काबिले मंसूखी है और इस आधार पर कोई भी आर्म्स लाईसेंस का निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता है अपने कथनों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त 2009(1) कि0 कोर्ट केसेज 873 उच्चतम न्यायालय, 2010 (3) कि0 कोर्ट केसेज 380 इलाहाबाद, 2012 (3) कि0 कोर्ट केसेज इलाहाबाद 41, 2002 (2) कि0 कोर्ट केसेज 568 इलाहाबाद का हवाला दिया गया। इसके अलावा वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलान्ट ने तहत अदालत के आदेश की पालना में अपने दोनो हथियार दिनांक 24.3.2014 को मोदी गन हाउस डीर व थाना मथुरागेट भरतपुर में जमा करा दिये गये है जमा रसीद शामिल फायल है। उपर्युक्त तमाम तथ्यों को नजर–अंदाज कर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है जिससे अपीलान्ट को सख्त हक–तलफी पैदा हो गई है। चूंकि अपीलधीन आदेश न्याय, नियम, रिकार्ड, तथ्यों से परे अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है। अन्त में वकील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय दिनांक 1.5.2015 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 104/87 के नवीनीकृत किये जाने की कार्यवाही के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट क्रमांक भरत/जि0वि0शा0/2015/211 दिनांक 10.2.2015 तलब की गई तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट के मध्यम से यह स्पष्ट किया कि अपीलान्ट/ शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध अपराध संख्या 834/09 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 336, 307, 302 ता0हि0 दर्ज होना तथा फरार होना अंकित करते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई। जिस पर तहत अदालत द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति करते हुये शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2015 पारित किया गया है। जो न्यायोचित है। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तथा शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने के दृष्टिगत तहत अदालत द्वारा बखूबी न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है जो उचित है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर का आदेश दिनांक 1.5.2015 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह जाहिर है कि अपीलान्ट के दौराने शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने के संबध में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.2.2015 को आधार बनाया जाकर तहत अदालत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.2.2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करने से इसलिऐ इन्कार किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध अपराध संख्या 834/09 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 336, 307, 302 ता0हि0 दर्ज है तथा अपीलान्ट फरार है। किन्तु वकील अपीलान्ट का कहना है कि अपीलाधीन आदेश में जिस मुकदमें को आधार बनाया गया है उसका सक्षम अदालत द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है और अपीलान्ट को उसमें वरी किया गया है। वकील अपीलान्ट के कथनों की ताईद हेतु पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा दिनांक 4.12.2012 तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायालधीश संख्या –3 भरतपुर के निर्णय दिनांक 14.3.2013 एवं दौराने बहस प्रस्तुत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम संख्या–3 भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.11.2017 का अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम संख्या–3 भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.11. 2017 के जरिये अपीलान्ट पुष्पेन्द्र लवानियां को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया है। लिहाजा यह प्रकरण वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर तथा सक्षम अदालतों द्वारा पारित निर्णयों/राजीनामा के परिपेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर पुनः जांच कर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाना ही उचित रहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2015 निरस्त किया जाता है प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर तथा सक्षम अदालतों द्वारा पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official